

प्रेषक,

कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह  
अपर सिविल जज जू०डि०  
यूपी 3436, फर्रुखाबाद।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय  
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश  
फर्रुखाबाद।

विषय:-उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 8/2018/दो-420184512/19 टी०सी०  
दिनांक 13.04.2018 के आलोक में विधि में स्नातकोत्तर उपाधि (एल.एल.एम.)  
धारक प्रार्थी को 03 अग्रिम वेतन वृद्धि दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी वर्तमान में अपर सिविल जज जू०डि० (यूपी 3436)  
फर्रुखाबाद के पद पर कार्यरत है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी अद्यतन शासनादेश  
संख्या 8/2018/279/ दो- 420184512/19 टी०सी० दिनांक 13.04.2018 के  
अनुसार प्रार्थना की एल.एल.एम. की उपाधि प्राप्त होने के कारण 03 अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमन्य  
है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि विधि में स्नातकोत्तर उपाधि (एल.एल.एम.)  
धारक होने के कारण प्रार्थी को माह जनवरी 2020 से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी  
अद्यतन शासनादेश संख्या 8/2018/279/दो-4201845(12)/19 टी०सी० दिनांक  
13.04.2018 के आलोक में 03 अग्रिम वेतन वृद्धि माननीय न्यायालय से स्वीकृत कराने की  
कृपा करें। दिनांक 05.02.2020 को भी उक्त सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा महोदय को पत्र प्रेषित  
किया गया था।

सादर।

दिनांक :- 19.01.2021

भवदीय

  
(कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह)  
अपर सिविल जज (जू०डि०)  
यूपी 3436, फर्रुखाबाद।

न्यायालय फर्रुखाबाद  
संख्या-209/J दिनांक-19.01.2021

सहायक

अपर न्यायाधीश  
फर्रुखाबाद  
19.01.2021